कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर, 04–सुभाष रोड़ देहरादून।
टेलीफोन– 0135–2713551, 2713552 एवं 2713724
Email ID = election09@gmail.com & ceo_uttaranchal@eci.gov.in

संख्या– 1564/XXV – 30 / 2025 दिनांकः देहरादून 17 अक्टूबर, 2025

1:–कार्य का नाम :– **मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अधीन निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत विभिन्न जिला निर्वाचन कार्यालयों/मु.नि.अ. कार्यालय में विभिन्न प्रकार की सामग्री–उपकरणों आदि की आपूर्ति हेतु ई–निविदा।**

2:–ई–निविदा आवेदन शुल्कः– **रू0–5000.00 (रू0–पाँच हजार मात्र) समस्त कर सहित।**

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2025 में निहित प्राविधानों तथा उत्तराखण्ड शासन द्वारा तद्विषयक समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसरण में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अधीन निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत विभिन्न जिला निर्वाचन कार्यालयों/मु.नि.अ. कार्यालय के प्रयोगार्थ विभिन्न प्रकार सामग्री/उपकरणों आदि की आपूर्ति हेतु अनुभवी, प्रतिष्ठित फर्मों से निम्न प्रकार ई–निविदा आमंत्रित की जाती है :–

01.	वेबसाईट www.uktenders.gov.in पर निविदा उपलब्ध होने की तिथि	**17 अक्टूबर, 2025** अपरान्ह 05:00 बजे
02.	प्रि–बिड मीटिंग का दिनांक एवं समय (ऑनलाईन – **Link https://meet.google.com/iud-kqqt-hei**) (निविदा के संबंध में किसी प्रकार की पृच्छा विभागीय ईमेल election09@gmail.com पर दिनांक 24.10.2025 को मध्यान्ह 12:00 बजे तक प्रेषित की जा सकती है)	**24 अक्टूबर, 2025** अपरान्ह 01:00 बजे **केवल ऑन लाईन**
03.	प्रि–बिड मीटिंग के उपरान्त वेबसाईट www.uktenders.gov.in पर तकनीकी और वित्तीय ई–निविदा ऑन लाईन अपलोड करने की प्रारम्भ तिथि एवं समय	**28 अक्टूबर, 2025** अपरान्ह 04:00 बजे से
04.	वेबसाईट www.uktenders.gov.in पर नियत शर्तों– निर्देशों के अनुसार तकनीकी और वित्तीय ई–निविदा ऑन लाईन अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय	**06 नवम्बर, 2025** अपरान्ह 03:00 बजे तक
05.	निर्धारित नियम–शर्तों/निर्देशों के अनुसार तकनीकी ई–निविदा से संबंधित सील्ड लिफाफा जिसमें Tender Fee, EMD, Black Listed न होने का नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ–पत्र आदि अभिलेख मूल में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय।	**06 नवम्बर, 2025** अपरान्ह 02:00 बजे तक
06.	निविदा समिति/अधिकृत अधिकारियों द्वारा ई–निविदा की तकनीकी निविदा खोले जाने की तिथि और समय	**06 नवम्बर, 2025** अपरान्ह 04:00 बजे

2—कार्य क्षेत्र में समाहित कार्य का विवरण (Scope of Work)

2.1— मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अधीन निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत विभिन्न जिला निर्वाचन कार्यालयों / मु.नि.अ. कार्यालय (District HQ के 14 विभिन्न Location) **हेतु निम्न प्रकार उच्च गुणवत्ता की सामग्री / उपकरणों की आपूर्ति करना :—**

1- 58.5 KVA Silent Diesel Genset Approx = 14 (Fourteen)
2- Desktop Computer with UPS Approx = 143 (One Hundred forty-three)
3- MFP-Mono (Duplex) High Lasser Printer = 139 (One Hundred thirty-nine)

Scope of Work में उल्लिखित संख्या पूर्णतः अनुमानित है जो घट अथवा बढ़ सकती है, या अपरिहार्य स्थिति में कोई भी सामग्री / उपकरण अथवा सभी सामग्री / उपकरण को Cancel भी किया जा सकता है। उक्त सामग्री का **Specification ANNEXURE-A** पर संलग्न है।

3:—पात्रता हेतु मानदण्ड (Eligibility Criteria):-

3.1— ई—निविदा दाता एक ऐसी प्रतिष्ठित फर्म होनी चाहिए जिसे विगत चार वर्षों **(2021—22 से 2024—25)** में से कम से किसी भी एक वर्ष में, केन्द्र / किसी राज्य सरकार / पी.एस.यू. के अन्तर्गत किसी विभाग / कार्यालय में विभिन्न प्रकार की उल्लिखित सामग्री—उपकरण / जनरल ऑर्डर सप्लाई के संबंध में अपेक्षित गुणवत्तायुक्त सामग्री की आपूर्ति का अनुभव होना चाहिए।

3.2— ई—निविदा दाता फर्म को केन्द्र / किसी राज्य सरकार के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत होना चाहिए ।

3.3— ई—निविदा दाता फर्म का GST **रजिस्ट्रेशन तथा** पैन कार्ड होना अनिवार्य होगा।

3.4— निविदा दाता फर्म का केन्द्र / किसी राज्य सरकार / पी.एस.यू. के अन्तर्गत किसी विभाग / कार्यालय में उल्लिखित सामग्री—उपकरण / जनरल ऑर्डर सप्लाई के संबंध में विगत चार वर्षों यथा **वित्तीय वर्ष—2021—22, 2022—23, 2023—24 एवं 2024—25 में लगातार (क्रमबद्ध) किन्हीं भी तीन वर्षों का औसत टर्नओवर रू0— 3.00 करोड़ (तीन करोड़) होना चाहिए।**

3.5— ई—निविदा दाता फर्म के सभी अभिलेख नियमानुसार उसी नाम से होने चाहिए जिस नाम से संबंधित निविदा—दाता द्वारा अपनी ई—निविदा में प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

3.6— ई—निविदा—दाता को भारत सरकार / किसी भी राज्य सरकार / पी.एस.यू. से ब्लेक लिस्टेड नहीं होना चाहिए।

3.7— ई—निविदा—दाता का विगत चार वर्षों **(2021—22 से 2024—25)** में से किसी भी एक वित्तीय वर्ष में केन्द्र / किसी राज्य सरकार / पी.एस.यू. के अन्तर्गत किसी विभाग / कार्यालय में उल्लिखित विभिन्न प्रकार की सामग्री—उपकरण / जनरल ऑर्डर सप्लाई के संदर्भ में निम्नलिखित कार्यादेश तथा सन्तोषजनक कार्य के संबंध में संबंधित विभाग / कार्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया कार्यपूर्ति / भुगतान का स्पष्ट प्रमाण—पत्र होना चाहिएः—

क—किसी भी एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 50.00—50.00 लाख (पच्चास—पच्चास लाख) के तीन अलग—अलग आदेश, या

ख—किसी भी एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 75.00—75.00 लाख (पिचहत्तर—पिचहत्तर लाख) के दो अलग—अलग आदेश, या

ग—किसी भी एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 150.00 लाख (एक सौ पच्चास लाख) का एक सिंगल आदेश, और

उक्त बिन्दु क,ख और ग में (जैसी भी स्थिति हो) के साथ विगत तीन वर्षों में कुल रू0–5.00 करोड़ (पाँच करोड़) का सन्तोषजनक ढंग से कार्य करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3.8– निविदा–दाता को आयकर एवं अन्य किसी भी कर जो भी देय हों, का देनदार नहीं होना चाहिए। वित्तीय वर्ष–2023–2024 तक का आयकर रिटर्न जमा होना चाहिए।

3.9– तकनीकी निविदा के साथ निर्धारित माप, गुणवत्ता, Specification के अनुसार वांछित सामग्री/उपकरण आपूर्ति करने के संबंध में निविदि–दाता की बचनबद्धता के संदर्भ में रू0–100.00 (एक सौ) मात्र की धनराशि के **नॉन जूडिशियल** स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथपत्र भी मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3.10– निविदा में प्रतिभाग करने के लिए MSME के अन्तर्गत पंजीकरण की कोई बाध्यता नहीं है, यदि अन्यथा अनर्ह न हो तो कोई भी इच्छुक निविदा–दाता नियमानुसार अपनी निविदा प्रस्तुत कर सकता है। MSME के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में सूक्ष्म व लघु उद्यम के रूप में उद्यमिता ज्ञापन भाग–2 (EM Part-2) /उद्योग आधार फाइल कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त की हो, तथा क्रय वरीयता नीति के अन्तर्गत उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड में पंजीकृत फर्म को "प्रदेश के सूक्ष्म व लघु उद्यमों (कुटीर, खादी ग्रामोद्योग, हथकरघा व हस्तशिल्प एवं स्टार्टप्स सहित) के लिए क्रय वरीयता नीति–2019" (समय–समय पर यथा संशोधित) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निविदा प्रपत्र के शुल्क और EMD आदि में नियमानुसार उस सीमा तक छूट का प्राविधान होगा। अर्थात केवल उत्तराखण्ड राज्य में निविदा में उल्लिखित कार्यो हेतु नियमानुसार MSME में पंजीकृत फर्मो आदि को ही निविदा के शुल्क और EMD आदि में छूट देय होगी/उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 (समय–समय पर संशोधित) के साथ ही MSME के लाभ देय होगें। MSME पंजीकरण अभिलेखों में उल्लिखित सामग्री/उपकरणों के आपूर्ति का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना अनिवार्य होगा।

3.11– केवल अंतिम रूप से तकनीकी अर्हता प्राप्त सफल निविदा–दाताओं की वित्तीय निविदा ही नियमानुसार खोली जाएगी। सशर्त कोई निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी। कदाचित यदि कोई निविदा–दाता निर्धारित निविदा–शुल्क, या जमानत की धनराशि (EMD) और भौतिक रूप से प्रस्तुत की जाने वाली किसी भी तकनीकी निविदा को निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो ऐसे किसी भी निविदा–दाता की ई–निविदा का तकनीकी मूल्यांकन नहीं किया जाएगा बल्कि ऐसी किसी भी निविदा/निविदाओं को प्रथम दृष्ट्या निरस्त समझा जाएगा।

3.12– तकनीकी निविदा में भौतिक रूप में केवल वही अभिलेख/विवरण प्रस्तुत किए जांय जिन्हें निविदा की शर्तों के अनुसार प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी है। अपेक्षित अभिलेख के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख भौतिक रूप से प्रस्तुत न किए जांय। इसी प्रकार ऑन लाईन ई–निविदा में भी केवल उतने/उन्हीं अभिलेखों को स्केन कर अपलोड किया जाय जितनी अपेक्षा की गयी हो। अनावश्यक एवं अवांछित कोई भी अभिलेख ई–निविदा के रूप में अपलोड न किए जांय। अर्थात केवल चैकलिस्ट के अनुसार क्रमवद्ध रूप से ही वांछित अभिलेख/विवरण ई–निविदा में ऑन लाईन अपलोड किए जांय।

4:– अभिलेख जिन्हें तकनीकी ई–निविदा से संबंधित सील्ड लिफाफे में मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा (चैकलिस्ट ANNEXURE-B के साथ) :–

4.1– निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0–5000.00 (रू0–पाँच हजार) की धनराशि, किसी अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक से तैयार बैंक ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट (मूल में) जिसे **मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड** (Chief Electoral Officer Uttarakhand) के नाम से तैयार किया गया हो तथा Payble at Dehradun हाना चाहिए ।

4.2— ई–निविदा हेतु निर्धारित EMD **रू0–8,50,000.00** (रू0– आठ लाख पच्चास हजार) की धनराशि किसी अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक से तैयार **केवल सावधि जमा रसीद** (FDR/TDR), **या राष्ट्रीय बचत पत्र** (NSC) **(मूल में)** जिसे मुख्य **निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड** (Chief Electoral Officer Uttarakhand) के नाम से तैयार कर बंधक (Pledge)किया गया हो और उसकी वैधता कम से कम 90 दिन की होनी चाहिए।

4.3— निविदा–दाता को भारत सरकार/किसी भी राज्य सरकार/पी.एस.यू. से ब्लेक लिस्टेड नहीं होना चाहिए इसके संबंध में निविदा–दाता को रू0–1**00.00 के नॉन जूडिशियल** स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित निम्न तीन बिन्दुओं पर निर्धारित शपथ–पत्र मूल रूप में ***तकनीकी निविदा के साथ*** प्रस्तुत करना होगा कि:–

1— फर्म आदि किसी भी राज्य में ब्लेक लिस्टेड नहीं है और न ही उसकी जमानत की धनराशि को जब्त किया गया है।

2— किसी भी सरकारी विभाग/पी.एस.यू. में किसी भी प्रकार का विधिक विवाद भी नहीं है।

3— तकनीकी ई–निविदा के साथ फर्म द्वारा प्रस्तुत सभी सूचनाएं/अभिलेख सत्य हैं और कोई भी सूचना, जिसे निविदा के साथ उपलब्ध कराया जाना आवश्यक था छिपाई नहीं गई है।

4.4— ***MSME के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में सूक्ष्म व लघु उद्यम के रूप में उद्यमिता ज्ञापन भाग–2 (EM Part-2) /उद्योग आधार फाइल कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त की हो, तथा क्रय वरीयता नीति के अन्तर्गत उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड में पंजीकरण संबंधी वैध प्रमाण–पत्र की प्रति (यदि कोई हो)।***

4.5— निर्धारित माप, गुणवत्ता, Specification के अनुसार वांछित सामग्री/उपकरण आपूर्ति करने के संबंध में निविदि–दाता की बचनबद्धता के संदर्भ में रू0–100.00 (एक सौ) मात्र की धनराशि के **नॉन जूडिशियल** स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथपत्र की मूल प्रति।

4.6— **POWER OF ATTORNEY FOR SIGNING OF BID, in ANNEXURE-3 (रू0.100.00 के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मूल में)**

5:— <u>अभिलेख जिन्हें तकनीकी ई–निविदा के रूप में ऑन–लाईन अपलोड करना अनिवार्य होगा (चैकलिस्ट ANNEXURE-C के साथ) :–</u>

5.1— निविदा–दाता फर्म का GST रजिस्ट्रेशन संबंधी अभिलेख।

5.2— निविदा–दाता फर्म के पैन कार्ड की प्रति।

5.3— MSME के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में सूक्ष्म व लघु उद्यम के रूप में उद्यमिता ज्ञापन भाग–2 (EM Part-2) /उद्योग आधार फाइल कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त की हो, तथा क्रय वरीयता नीति के अन्तर्गत उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड में पंजीकरण संबंधी वैध प्रमाण–पत्र की प्रति, यदि कोई हो।

5.4— विगत तीन वर्षों (2021–22 से 2024–25) में से किसी भी एक वर्ष में केन्द्र/किसी राज्य सरकार/पी.एस.यू. के अन्तर्गत किसी विभाग/कार्यालय में विभिन्न प्रकार उल्लिखित सामग्री–उपकरण/जनरल ऑर्डर सप्लाई के संबंध में अपेक्षित गुणवत्तायुक्त सामग्री की आपूर्ति करने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी

अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति, या उसके सादृश्य अन्य सुसंगत अभिलेख जिसमें उक्तानुसार किसी भी एक वर्ष में संबंधित कार्य करने का अनुभव सुस्पष्ट परिलक्षित होता हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रस्तुत अभिलेख में विषय वस्तु यथा निविदा–दाता फर्म का पूरा नाम और पता, अनुभव से संबंधित वर्ष का विवरण एवं कार्य का विवरण ऐसे अभिलेख में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होना चाहिए। प्रस्तुत किए गऐ अभिलेख में किसी प्रकार की कमी अथवा अपूर्णता और अस्पष्टता के लिए निविदा–दाता स्वयं उत्तरदायी होगा।

5.5– विगत चार वित्तीय वर्षों यथा ***वित्तीय वर्ष–2021–22, से 2024–25 में से लगातार (क्रमबद्ध) किन्हीं भी तीन वित्तीय वर्षों*** के टर्नओवर से संबंधित सी0ए0 द्वारा सम्प्रीक्षित बैलेंसशीट का **सार ANNEXURE-4 CA** के Letter head पर संबंधित सी. ए. के UDIN सहित।

5.6– विगत तीन वर्षों (2021–22 से 2024–25) में से **किसी भी एक वित्तीय वर्ष में** केन्द्र/किसी राज्य सरकार/पी.एस.यू. के अन्तर्गत किसी विभाग/कार्यालय में विभिन्न प्रकार की उल्लिखित सामग्री–उपकरण/जनरल ऑर्डर सप्लाई के संबंध में अपेक्षित गुणवत्तायुक्त सामग्री की आपूर्ति करने के संबंध में निम्नलिखित कार्यादेश तथा सन्तोषजनक कार्य के संबंध में संबंधित विभाग/कार्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया कार्यपूर्ति/भुगतान का स्पष्ट प्रमाण–पत्र अपलोड करना चाहिए:–

क–किसी भी एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 50.00–50.00 लाख (पच्चास–पच्चास लाख) के तीन अलग–अलग आदेश, या

ख–किसी भी एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 75.00–75.00 लाख (पिचहत्तर– पिचहत्तर लाख) के दो अलग–अलग आदेश, या

ग–किसी भी एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 150.00 लाख (एक सौ पच्चास लाख) का एक सिंगल आदेश, और

उक्त बिन्दु क,ख और ग में (जैसी भी स्थिति हो) के साथ विगत तीन वर्षों में कुल रू0–5.00 करोड़ (पाँच करोड़) का सन्तोषजनक ढंग से कार्य करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5.7– कार्यादेश के सापेक्ष सन्तोषजनक कार्य के संबंध में संबंधित विभाग/कार्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया कार्यपूर्ति एवं अंतिम भुंगतान के स्पष्ट प्रमाण–पत्र की प्रति, जिसमें समाविष्ट विषय वस्तु यथा निविदा–दाता फर्म का पूरा नाम और कार्यादेश का स्पष्ट विवरण, बिल संख्या एवं दिनांक, बिल की धनराशि तथा भुगतान का दिनांक आदि विवरण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होना चाहिए। वांछित सूचना में किसी प्रकार की कमी अथवा अपूर्णता और अस्पष्टता के लिए निविदा–दाता स्वयं उत्तरदायी होगा।

5.8– वित्तीय वर्ष–2024–2025 तक जमा आयकर रिटर्न से संबंधित अभिलेख।

5.9– निविदा के इस सम्पूर्ण अभिलेख (Corrigendum सहित यदि कोई हो) की प्रति।

5.10–निविदा–दाता को रू0–**100.00 के नॉन जूडिशियल** स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित ब्लेक लिस्टेड न होने के संबंध में निर्धारित तीन बिन्दुओं पर शपथ–पत्र की प्रति।

5.11– निर्धारित माप, गुणवत्ता, Specification के अनुसार वांछित सामग्री/उपकरण आपूर्ति करने के संबंध में निविदि–दाता की बचनबद्धता के संदर्भ में रू0–100.00

(एक सौ) मात्र की धनराशि के **नॉन जूडिशियल** स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथपत्र की प्रति।

5.12–अन्य अभिलेख यदि कोई हों (अधिकत्तम 4 पेज में)।

5.12–उक्त बिन्दु संख्या–**5.1 से 5.11** पर अंकित समस्त अभिलेखों पर निविदा–दाता के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर (मूल में नीले रंग की रोशनाई के पेन से) एवं फर्म की मुहर (मूल में) लगी होनी चाहिए। किसी भी स्थिति में स्केन कर चस्पा किए गए हस्ताक्षर एवं मुहर स्वीकार्य नहीं होंगे। वांछित अभिलेखों के प्रत्येक पेज पर नियमानुसार Digital Signature भी स्वीकार होंगे।

6:–बिल प्रस्तुत करना एवं उनका भुगतान:–

6.1– सन्तोषजनक कार्यपूर्ति के पश्चात प्रस्तुत बिलों में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार निर्धारित GST (As per applicable) आदि कर देय होगा।

6.2– सन्तोषजनक आपूर्ति के फलस्वरूप संबंधित जिला निर्वाचन कार्यालयों को आवंटित उक्त सामग्री की निर्धारित माप, मात्रा, गुणवत्ता एवं Specification के अनुसार संतोषजनक ढंग से आपूर्ति एवं स्थापना (Installation) के पश्चात संबंधित जनपद द्वारा जारी किए गए प्रमाण–पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करने पर ही तद्संबंधी बिल के नियमानुसार भुगतान हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा विचार किया जाएगा।

6.3– अंतिम रूप से सफल निविदा–दाता को निविदा में निहित नियम–शर्तों के अनुसार आपूर्ति कार्यादेश निर्गत होने के पश्चात विलम्बत्तम 45 दिन के अन्दर निर्धारित माप, मात्रा एवं गुणवत्ता तथा Specification के साथ उल्लिखित सामग्री–उपकरणों की आपूर्ति–स्थापना सुनिश्चित करनी होगी। इस संबंध में निविदा–दाता को बारचार्ट में आपूर्ति, स्थापना, चालू एवं प्रशिक्षण की प्रस्तावित योजना प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, यह बार चार्ट तकनीकी मूल्यांकन हेतु तकनीकी निविदा का भाग होगी।

6.4– निर्धारित माप, मात्रा एवं गुणवत्ता एवं Specification के साथ सन्तोषजनक आपूर्ति एवं स्थापना (Installation) के पश्चात संबंधित जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी किए गए प्रमाण–पत्र के आधार पर, विलम्बतम 90 दिन के अन्दर नियमानुसार सम्बन्धित देयकों का मु.नि.अ. कार्यालय द्वारा भुगतान किया जायेगा। अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में सुसंगत मानक मद में बजट की अपरिहार्य अनुपलब्धता अथवा अपर्याप्तता के कारण भुगतान में विलम्ब हो सकता है। भुगतान की जाने वाली धनराशि पर नियमानुसार TDS की कटौती भी की जायेगी।

6.5–जिला निर्वाचन कार्यालयों द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर कि, सम्बन्धित फर्म द्वारा आपूर्ति एवं स्थापना (Installation) सन्तोषप्रद रूप से पूर्ण कर ली गयी है एवं किसी प्रकार के अर्थदण्ड (Penalty) एवं Liquidated Damage की कटौती देय नहीं है तथा सम्बन्धित फर्म द्वारा विहित सामग्री–उपकरणों की नियत माप, मात्रा एवं गुणवत्ता एवं Specification के साथ सन्तोषजनक ढंग से आपूर्ति की गयी है, के पश्चात ही कार्यपूर्ति प्रतिभूति (Performance Security) मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा अवमुक्त की जायेगी।

7– अप्रत्याशित घटना (FORCE MAJEURE) :–

7.1– निविदा–दाता फर्म की कार्यपूर्ति प्रतिभूति को जब्त करने/Liquidated Damages का दावा करने या अनुबंध की वैधता को समाप्त करने का आधार नहीं होगा, यदि अनुबंध के तहत दायित्वों का निर्वहन करने में कोई विलम्ब या अन्य विफलता किसी अप्रत्याशित घटना के कारण परिलक्षित होती हो।

7.2– अप्रत्याशित घटना का आशय अनुबंधित फर्म के नियंत्रण से इतर ऐसी कोई घटना है जिसमें अनुबंधित फर्म की कोई गलती या लापरवाही परिलक्षित नहीं होती है और जिसका कोई पूर्वानुमान भी नहीं है जैसे, युद्ध या क्रांति, आग, बाढ, महामारी, क्वारंटीन प्रतिबंध, माल ढुलाई प्रतिबंध या कोई दैवीय आपदा सम्मिलित हो सकती है।

7.3– यदि किसी समय इस प्रकार कोई अप्रत्याशित घटना उत्पन्न होती है तो, अनुबंधित फर्म को ऐसी स्थिति और उसके कारण के बारे में तत्काल उसी दिन मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को लिखित रूप में सूचित करना होगा। कार्य की महत्ता और समयबद्धत्ता को ध्यान में रखते हुए अनुबंधित फर्म को अप्रत्याशित घटना से बाधित होने वाले प्रदर्शन के लिए सभी उचित वैकल्पिक साधनों की पहचान/तलाश भी सुनिश्चित करनी होगी।

8–अनुबंध का निलंबन और समाप्ति :–

8.1– अनुबंध के तहत उल्लिखित प्राविधानों के अधीन अनुबंध अवधि की समाप्ति पर स्वतः समाप्त हो जाएगा।

8.2– मुख्य निर्वाचन अधिकारी, अनुबंध को समाप्त कर सकता है यदि, अनुबंधित फर्म अनुबंध की शर्तों का उल्लघंन करती है और उल्लघंन की सूचना मिलने के पाँच दिन के अन्दर इसे सुधारने में विफल रहती है।

8.3– यदि अनुबंधित फर्म दिवालिया हो जाती है/या हो जाता है, तो अनुबंधित फर्म को 10 दिन का लिखित नोटिस (निर्वाचन कार्यों की महत्ता, समयबद्धता एवं तात्कालिकता के दृष्टिगत नोटिस की अवधि 10 दिन से कम की भी हो सकती है) देकर बिना किसी मुआवजे के किसी भी समय अनुबंध समाप्त किया जा सकता है, बशर्ते कि इस प्रकार से अनुबंध समाप्ति से अनुबंधित कार्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा या कार्यवाही अथवा किसी उपचार के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा जो उसके बाद अर्जित हुई या अर्जित होगी।

8.4– मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास अनुबंध अवधि के दौरान यदि राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/पीएसयू के किसी विभाग/कार्यालय द्वारा अनंबंधित फर्म के ब्लेक लिस्ट में डाले जाने या ब्लेक लिस्टेड होने की जानकारी अथवा अनुबंधित फर्म को कानूनी/कर चोरी के मामले में दोषी पाए जाने/ठहराए जाने की किसी सूचना पर अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

8.5– दोषपूर्ण/घटिया सामग्री–उपकरणों की आपूर्ति करने या अनुबंध के अनुसार नियत अवधि के अन्तर्गत गुणवत्तायुक्त सामग्री–उपकरणों की नियत Specification के अनुसार आपूर्ति–स्थापना करने में असफलता पर शासकीय कार्यहित में तत्काल अनुबंधित फर्म को निलंबित कर लिया जाएगा। यद्यपि प्रकरण पर अंतिम निर्णय से पूर्व सभी पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर प्रदान किया जाएगा।

9—मध्यस्थता :—

9.1— अनुबंध के संबंध में उत्पन्न किसी भी विवाद को विभाग और अनुबंधित फर्म द्वारा सीधे अनौपचारिक बातचीत द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा।

9.2— यदि ऐसी अनौपचरिक बात प्रारम्भ होने के एक सप्ताह के अन्तर्गत विभाग और अनुबंधित फर्म विवाद को सौहार्दपूण ढंग से हल करने में विफल रहती हैं तो, किसी भी पक्ष को आवश्यकता हो सकती है कि विवाद को औपचारिक रूप से समाधान के लिए तीसरे पक्ष को मध्यस्तता हेतु भेजा जाय।

9.3— इस प्रकार के विवाद को समाधान के लिए तीसरे पक्ष के रूप में सचिव, निर्वाचन उत्तराखण्ड शासन के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा।

9.4— मध्यस्तता का कार्य क्षेत्र देहरादून मुख्यालय होगा तथा मध्यस्ता की कार्यवाही हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। न्यायाधिकार क्षेत्र देहरादून होगा।

10 :— वित्तीय ई—निविदा :—

10.1— वित्तीय ई—निविदा नियत BOQ के प्रारूप में ही नियमानुसार केवल ऑन लाईन प्रस्तुत की जायगी। BOQ में प्रस्तुत दरों में GST एवं अन्य कोई भी कर (Tax) सम्मिलित नहीं होगा। अर्थात ऑन लाईन BOQ में दरें Excluding all taxes ही प्रस्तुत की जायेंगी।

10.2— वित्तीय ई—निविदा के प्रारूप BOQ में दरें निम्न प्रकार की प्रस्तुत की जायेंगी:—

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अधीन निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत विभिन्न जिला निर्वाचन कार्यालयों/मु.नि.अ. कार्यालय में विभिन्न प्रकार की निम्नलिखित सामग्री/उपकरणों आदि की आपूर्ति।

वित्तीय ई—निविदा हेतु प्रारूप BOQ

SL No.	Item No./Name in the Table	Estimated quantity	Base Rate Per Item	Gross Amount (Excluding GST)
1	3	3	4	5
1.	Supply and complete installation of 58.5 KVA Silent Diesel Genset as per Specification prescribed in Annexure-A	14		
2.	Supply and complete installation of Desktop Computer (All in One) with UPS as per Specification prescribed in Annexure-A	143		
3.	MFP-Mono (Duplexer) High Lasser Printer as per Specification prescribed in Annexure-A	139		
	Total -			

नोट :— कॉलम संख्या—5 में आगणित कुल (Total) न्यूनत्तम धनराशि के आधार पर ही किसी निविदा—दाता को L1 की श्रेणी में वर्गीकृत किया जायेगा। प्रत्येक निविदा—दाता को उल्लिखित तीनों सामग्री के लिए अपनी दरें प्रस्तुत करनी अनिवार्य होंगी। यदि किसी भाग में दरें प्रस्तुत नहीं की जाती है तो ऐसी किसी भी निविदा को अस्वीकार किया जाएगा।

प्रमाणित किया जाता है कि वित्तीय ई—निविदा में दर्शाई गई मूल दरें एवं GST हमारी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सही हैं।

निविदा दाता फर्म का नाम
फर्म का पूरा पता—
एसटीडी कोड सहित टेलीफोन नम्बर—
जीएसटी नम्बर—
पैन नम्बर—

11– ई–निविदा के संबंध में अन्य नियम एवं आवश्यक शर्तें :–

11.1 मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अधीन निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत विभिन्न जिला निर्वाचन कार्यालयों/मु.नि.अ. कार्यालय हेतु विभिन्न प्रकार की सामग्री–उपकरणों की आपूर्ति **हेतु** अनुभवी, प्रतिष्ठित फर्मों के इच्छुक निविदा–दाताओं से कार्यक्रमानुसार वेबसाईट **www.uktenders.gov.in** के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय ई–निविदा केवल ऑन लाईन आमंत्रित की जाती है।

11.2 ई–निविदा में प्रतिभाग करने के लिए निविदादाताओं के पास DSC (Digital Signature Certificate) होना अनिवार्य है।

11.3 निविदा–दाता द्वारा तकनीकी बिड **ANNEXURE-B** में एवं वित्तीय ई–निविदा केवल निर्धारित प्रारूप BOQ में ही ऑनलाईन प्रस्तुत करनी होगी। अन्य किसी भी प्रारूप पर वित्तीय ई–निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। तकनीकी ई–निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म आदि के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा फर्म की मुहर सहित हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। तकनीकी बिड के साथ ई–निविदा के इस सम्पूर्ण अभिलेख को भी (Corigendum सहित यदि कोई को) हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा।

11.4 निर्धारित अन्तिम तिथि व समय तक प्राप्त **निविदाओं** की तकनीकी/वित्तीय निविदाओं को, **निर्धारित तिथि एवं समय पर** उपस्थित निविदा–दाताओं के समक्ष खोला जायेगा। तत्पश्चात तकनीकी ई–निविदाओं का समिति के द्वारा मूल्यांकन (Evaluation) किया जायेगा। यदि तकनीकी/वित्तीय निविदा खोले जाने के समय कोई निविदा–दाता उपस्थित नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में तकनीकी/वित्तीय निविदा निर्धारित तिथि एवं समय पर ही नियमानुसार खोली जाएगी।

11.5 आपूर्तिकर्ता फर्म को निर्धारित माप, मात्रा एवं गुणवत्ता एवं Specification के अनुसार उल्लिखित सामग्री/उपकरण आपूर्ति करने होंगें। इच्छुक निविदादाता किसी भी कार्यदिवस में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर, सुभाष रोड़ में उपस्थित होकर ई–निविदा के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते है।

11.6 विभिन्न प्रकार की उल्लिखित सामग्री–उपकरणों/जनरल आर्डर सप्लाई के संबंध में अपेक्षित गुणवत्तायुक्त सामग्री की आपूर्ति करने का अनुभव होना अनिवार्य है। आपूर्ति सम्बन्धी कार्यों का विगत तीन वर्षों में *फर्म की नेटवर्थ पॉजिटिव होनी चाहिए।*

11.7 **फर्म की नेटवर्थ पॉजिटिव *से संबंधित सी0ए0 के द्वारा सम्प्रीक्षित बैलेंस शीट एवं प्रमाण–पत्र की प्रति ई–तकनीकी निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।***

11.8 निविदा के साथ निविदा शुल्क तथा EMD राशि के इन्स्ट्रूमेंट हस्ताक्षरित स्केन कॉपी ई–निविदा के साथ में वेबसाईट में अपलोड करनी अनिवार्य होगी और इसकी मूल प्रति को ई–तकनीकी निविदा के लिफाफें में रखते हुए लिफाफे के शीर्ष पर **"निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की सामग्री–उपकरणों की आपूर्ति"** लिखा हो और फर्म का पूरा नाम और पता भी स्पष्ट अंकित किया गया हो नियत तिथि और समय के अन्दर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर, 04–सुभाष रोड़ देहरादून में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11.9 आपूर्ति की जाने वाली सामग्री–उपकरण अपेक्षित गुणवत्तायुक्त एवं Specification के ही होने अनिवार्य है। अन्तिम रूप से तकनीकी अर्हता प्राप्त फर्मों की वित्तीय निविदा खोले जाने के फलस्वरूप, आपूर्ति की जाने वाली उल्लिखित सामग्री–उपकरणों के संबंध में न्यूनत्तम दर के आधार पर आगणित धनराशि के सापेक्ष सफल निविदा दाता को 10 प्रतिशत की धनराशि कार्यपूर्ति प्रतिभूति के रूप में जमा करनी अनिवार्य होगी उसके पश्चात ही कार्यादेश जारी किया जा सकेगा।

11.10 निविदा के साथ अपेक्षित **EMD की धनराशि अपेक्षानुरूप** प्रस्तुत न करने पर निविदा मान्य नहीं होगी। तकनीकी ई–निविदा ANNEXURE-B के साथ सभी अपेक्षित प्रमाण पत्र रखे जायेंगे। वित्तीय ई–निविदा हेतु केवल BOQ में Online प्रस्तुत की जायेगी।

11.11 निर्धारित तिथि, समय पर निविदा समिति के द्वारा ई–तकनीकी निविदाएं खोली जायेगी। तकनीकी निविदा के मूल्यांकन एवं वर्गीकरण के उपरान्त अर्ह निविदा–दाताओं की सूची तैयार की जायेगी। ई–तकनीकी निविदा में अर्ह पाये गये निविदा–दाताओं की ही यथा समय मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार वित्तीय ई–निविदाएं खोली जायेगी। अनर्ह पाए गए निविदा–दाताओं की वित्तीय ई–निविदा नहीं खोली जायेंगी।

11.12 निविदा समिति की संस्तुति के आधार पर एल0–01 फर्म को कार्यादेश निर्गत होने पर नियत समयान्तर्गत अपेक्षित गुणवत्ता तथा Specification के साथ निर्धारित मात्रा में अपेक्षित आपूर्ति न करने पर संबंधित फर्म की कार्यपूर्ति प्रतिभूति की धनराशि जब्त कर ली जायेगी और फर्म को नियमानुसार ब्लेक लिस्टेड करते हुए **Liquidated Damage के रूप में कार्यादेश के अनुरूप अनुमानित व्यय का अधिकतम 10 प्रतिशत धनराशि के भुगतान का विभाग द्वारा दावा किया जा सकेगा, जो कार्यपूर्ति प्रतिभूति** की जब्त की गई धनराशि के अतिरिक्त होगी। विलम्ब की स्थिति में प्रतिदिन कुल धनराशि का एक प्रतिशत की धनराशि व अधिकतम 10 प्रतिशत पैनाल्टी के रूप में ली जायेगी। ऐसी स्थिति में विभाग, फर्म आदि के विरूद्ध न्यायिक / दण्डात्मक कार्यवाही के लिए भी स्वतंत्र होगा।

11.13 समय पर सन्तोषजनक ढंग से अपेक्षित सामग्री–उपकरणों की आपूर्ति हेतु ट्रॉसपोर्टेशन, लोडिंग–अनलोडिंग या अन्य किसी भी आकस्मिक दुर्घटना के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा और इस हेतु किसी भी प्रकार का कोई दावा या क्षतिपूर्ति स्वीकार नहीं किया जायेगा।

11.14 मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के पास सामग्री–सामग्री की गुणवत्ता एवं तकनीकी विशेषताओं को सुनिश्चित करने के लिए आपूर्तिकर्ता फर्म के स्टोर एवं कार्यस्थल का निरीक्षण करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। यदि निरीक्षण में सामग्री अपेक्षित गुणवत्तायुक्त एवं Specification की नहीं पायी जाती है तो आपूर्तिकर्ता फर्म के व्यय पर ही आवश्यक परिवर्तन करने हेतु निविदादाता को सूचित किया जायेगा, जिसकी आपूर्ति अनिवार्य होगी।

11.15 आपूर्ति की गयी सामग्री–उपकरणों की रेण्डम सैम्पलिंग कर विभाग द्वारा जांच भी करवाई जा सकती है। सामग्री–उपकरणों की गुणवत्ता या Specification में किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर संबंधित देयकों का न तो भुगतान किया जायेगा और न ही कोई दावा स्वीकार किया जायेगा साथ ही कार्यपूर्ति प्रतिभूति की धनराशि भी जब्त कर ली जायेगी जिसके लिए संबंधित फर्म आदि स्वयं उत्तरदायी होगी।

11.16 देयक की कुल धनराशि के सापेक्ष विभाग द्वारा नियमानुसार करों की कटौती की जायेगी।

11.17 कार्यादेश के अनुरूप निर्धारित समयान्तर्गत गुणवत्ता के साथ अपेक्षित सामग्री आपूर्ति के फलस्वरूप तद्विषयक बिल भुगतान हेतु दो प्रतियों में प्रस्तुत किये जायेंगे। बजट की उपलब्धता के अनुसार ही सम्बन्धित देयकों का यथा समय विभाग द्वारा भुगतान किया जा सकेगा।

11.18 निविदा–दाता फर्म आदि के द्वारा जिस फर्म के नाम पर ई–निविदा के माध्यम से अपनी निविदा प्रस्तुत की गई है, उसी फर्म आदि के नाम से सभी तकनीकी अभिलेख (ई–तकनीकी निविदा में जो भी अपेक्षित है) प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे। **तकनीकी ई–निविदा के रूप में अपलोड किए गए कोई भी अभिलेख केवल हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में ही सुस्पष्ट और साफ पठनीय होने चाहिए। अन्य किसी भाषा में प्रस्तुत किसी भी अभिलेख के संबंध में ऐसे किसी भी अभिलेख के साथ उसका हिन्दी अथवा अंग्रेजी रूपान्तरण में पूर्ण रूप से हस्ताक्षरित उद्धरण प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व संबंधित निविदा–दाता का होगा।**

11.19 सशर्त कोई भी निविदा मान्य नहीं होगी। आवश्यकता पड़ने पर निविदा की नियम/शर्तों में संशोधन/परिवर्तन करने का सर्वाधिकार सुरक्षित होगा।

11.20 ई–निविदा आवेदन पत्र में समस्त सूचनाएं यथा स्थान स्पष्ट पठनीय लेख में हों एवं तकनीकी ई–निविदा में अपलोड किए गए वांछित सभी अभिलेख क्रमबद्ध रूप से संलग्न किए गए हों। केवल वही अभिलेख तकनीकी ई–निविदा में अपलोड किए जांय जो इस निविदा के माध्यम से वांछित हों अनावश्यक और अवांछित कोई भी अभिलेख तकनीकी ई–निविदा में अपलोड न किए जांय।

11.21 किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास सर्वाधिकार सुरक्षित होगा। उक्त के संदर्भ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी का निर्णय अन्तिम और सर्वमान्य होगा।

11.22 निविदा–दाता को ***वित्तीय वर्ष–2022–23, 2023–24, तथा 2024–25*** का आयकर रिटर्न जिसे सीए द्वारा अभिप्रमाणित तथा निविदा–दाता द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो की प्रति तथा जनवरी, 2025 तक जीएसटी क्लियरेंस प्रमाण पत्र एवं पिछले तीन महीनों के लिए जीएसटीआर–3बी रिटर्न प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11.23 निविदा–दाता फर्म के पास निविदा प्रकाशित होने की तिथि को या उससे पूर्व की तिथि का ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 10377:2013, ISO 10002:2018, ISO 20000-1:2018, ISO 50001:2018, ISO 27001:2013 प्रमाण पत्र होना चाहिए।

11.24 The hardware vendor should be reputed concern having global presence in multiple countries. Vendor should have ISO certification. The OEM should be among the listed companies in "IDC Asia/Pacific quarterly personnel competing device tracker" in the "top 5 company highlights" section for each of the consecutive 2 previous quarter.

11.25 OEM (Original Equipment Manufacturer) या अधिकृत डीलर निविदा में प्रतिभाग कर सकते हैं, अधिकृत डीलर के मामले में निविदा–दाता के पास OEM विषयगत निविदा के संबंध में अधिकृत प्रमाण पत्र और OEM गारंटीकृत सेवा/वारंटी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11.26 निविदा दाता को BIS / BEE / EPR / RoHS या कोई अन्य प्रासंगिक भारतीय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11.27 आईडीसी की रिपोर्ट के अनुसार नवीनतम तिमाही के केवल शीर्ष–5 ब्रांडों के उत्पाद (कम्प्यूटर) ही स्वीकार्य होंगें। जीएफआर के नियम 144 के उपनियम (IX) के अनुसार ही निवदा में भाग लेने के लिए पात्र होंगें तथा इस हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने अनिवार्य होंगें।

11.28 निविदा–दाता अपनी तकनीकी निविदा में उल्लिखित उत्पादों/उपकरणों की विस्तृत तकनीकी विशिष्टतांए तथा अपेक्षित विशिष्टता के अनुपालन को प्रदर्शित करते हुए उद्धृत सामग्री–उपकरणों की सूची/ब्रोशर भी अपलोड करना अनिवार्य होगा।

11.29 निविदा–दाता का उत्तराखण्ड में कार्यालय होने के साथ–साथ पिछले कम से कम दो वर्षों से उत्तराखण्ड राज्य में जीएसटी पंजीकरण होना चाहिए। शासकीय कार्यहित में Collaboration or Joint Venture स्वीकार्य नहीं होगा। निविदा–दाता को एक ही कार्य के संदर्भ में विभिन्न स्थानोंप र कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।

11.30 अंतिम रूप से सफल निविदा–दाता द्वारा आपूर्ति की जाने वाली प्रस्तावित उल्लिखित सामग्री–उपकरणों की निर्धारित माप, मात्रा, गुणवत्ता एवं Specification के अनुसार आपूर्ति करने के साथ–साथ उनकी स्थापना (Installation), परीक्षण, कमिशनिंग के साथ ही उनका समुचित प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए विभाग द्वारा कोई अतिरिक्त व्यय देय नहीं होगा। जनरेटर सेट में सामग्री के साथ सिविल फाउंडेशन कार्य, प्रत्येक जेनसेट के साथ 4 नग अर्थिंग, केबल, नियंत्रण केबल, पैनलों के साथ स्वचालित चेंज ओवर स्विच, 5 इंच के पाईप के ओडी के साथ निकास पाईप का विस्तार, लोडिंग–अनलोडिंग, शिफ्टिंग–परिवहन, मजदूर आदि सम्पूर्ण व्यय निविदा की दरों में ही सम्मिलित होगी इस हेतु पृथक से कोई भुगतान देय नहीं होगा। इच्छुक निविदा–दाता इस संबंध में अपनी निविदा–प्रस्तुत करने से पूर्व प्रत्येक साईट का दौरा भी कर सकते हैं ताकि भविष्य में किसी प्रकार को कोई संशय न रहे।

11.31 इच्छुक निविदा–दाता के पास Annexure-D पर न्यूनत्तम रू0–40.00 लाख (चालीस लाख) तक की बैंक सॉल्वेंसी होनी चाहिए जो तकनीकी निविदा खोले जानी की तिथि से कम से कम तीन माह पुरानी नहीं होनी चाहिए। सफल निविदा–दाता के साथ अनुबंध निष्पादित होने के उपरान्त अपेक्षित बैंक सॉल्वेंसी की बैधता तीन माह तक होनी चाहिए।

11.32 अंतिम रूप से सफल निविदा–दाता के पास समय पर निर्धारित माप, मात्रा एवं गुणवत्ता तथा Specification के आधार पर उल्लिखित सामग्री–उपकरणों की आपूर्ति, परीक्षण, कमिशनिंग तथा स्टांलेशन आदि के संबंध में अनुभवयी एवं योग्य प्रशासनिक/तकनीकी कार्मिक उपलब्ध होने चाहिए तथा ऐसे कार्मिकों की विस्तृत सूची उनकी योग्यता का उल्लेख करते हुए तकनीकी निविदा के साथ ही फर्म के लैटरपैड पर तैयार कर प्रस्तुत की जानी चाहिए।

11.33 अंतिम रूप से सफल निविदा–दाता द्वारा उक्त सामग्री–उपकरणों की आपूर्ति/स्थापना के संदर्भ में इस निविदा के माध्यम से प्रस्तुत दरें 31 मार्च, 2026 तक वैध होंगी, जिसे विभाग एवं अनुबंधित निविदा–दाता फर्म की आपसी सहमति से अधिकत्तम एक वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकता है।

11.34 निविदा के सम्बन्ध में न्यायाधिकार क्षेत्र देहरादून मुख्यालय होगा।

(डा. विजय कुमार जोगदण्डे)
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

ANNEXURE-A

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अधीन निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत आपूर्ति की जाने वाली सामग्री–कम्प्यूटर उपकरणों आदि का विवरण–Specification:-

1- **58. 5 KVA Silent Diesel Genset**

Prime rating at rated rmp	**KVA**	**58.5 to 60**
	KW	**46.8 to 48**
Frequency	Hz	50
Power Factor	Lagging	0.8 or better
Voltage	V	415(3ø)
Governing class (As per ISO 8528 Part-V)		G2/G3
DG set Noise level at 1 meter	dBA	<75(Genset with canopy)
Weight of genset with canopy (Approx)-Dry	Kg	1340 to 1500
Overall Dimension of genset (Length)	mm	2450 to 30000
Overall Dimension of genset (Width)	mm	1050 to 1120
Overall Dimension of genset (Height)	mm	1450 to 1600
Electrical Battery Start in R Voltage	Volts-DC	12
Engine		
Rated output	Kwm	48 to 55
Prime continuous rateing as per (ISO 8528-1) (Not Rated)	HP	74
No of Cylinder	number	4
Cube capacity	ltrs	3.24
Bore x strok	mm	96x112/97x100/100x105
Rated speed	RPM	1500
Aspiration	NA/TC/TA	TA/TC
Lube oil change period	hrs.	500
Lube oil sump Capacity	Ltrs	7.5 to 10
Coolant capacity	Ltrs	12 or more
Alternator		
Insulation Class		Class H
Alternator Efficiency (At 100% load) 0.8pf **	%	90.8 or more
Max Voltage Dip at full load 0.8 pf Lag	sec	<20%
Max Time to Build up rated voltage at Rated RPM	<2 Sec provided engine reach the rated speed	

1. Gen Set must CPCB IV + compliance.

2. GENSET Engine type must be based on CRDI technology.

3. To meet the CPCB norms Genset must have inbuilt exhaust Gas treatment system following exhausat gas recirculation.

4 GENSET must also be monitored with the help of mobile device or desktop to know real time genset informationals about genset key parapmeters in view to avoid breakdown

5.GENSET must have on board diagnostics for superior up time

6. GENSET must have micro-processor-based controller to monitor followings parameters

	* Phase Voltages & Currents, Frequency, Genset, kVA, kW,kWh,kVAr,Power Factor.
	* Lube oil Pressure, Engine Temperature, RPM, Run Hours, Number of starts, Fuel Level, Auto /Manual Stop, Battery Charge condition, AMF feature.
	* Battery charging failure, Over/Under speed, over current, Over/under Voltage, Over kW, Phase Seq, Pase missing. Mais Under volage, Low fuel Level
	* Low lube oil Pressure, High Engine Temperature, Low/High battery voltage, low Fuel level, Over Crank protection, Routine maintenance indicator, Genset Test Facility/mains Frequency.
	7.Minimum 4 numbers Earthings (2 No. Body earth and 2 No. Neutral earth) shall be provided with GENSET, No extra cost will be given.
	8. Civil work with material for GENSET foundation shall be the part of GENSET supply, No extra cost will be given.
	9.To Install GENSET and to run the same automatically, cables, Automatic changeover switch, pannel and Extended exhaust pipe whereever needed shall be provided with the supply of GENSET. No extra cost will be given.
	10. Training, commissioning and Installation shall be provided by the bidder. No extra cost will be given.
2-	**Desktop Computer (All in One) with UPS** **Specification:** PC -13th/14th Generation Intel® Core™ i7 processor Windows 11 Pro Intel® UHD Graphics 770 16 GB DDR4 RAM or latest, with support of suitable slots to expand memory up to 64 GB or Higher, 1TB SSD Solid State Drive, USB Wired Keyboard and Mouse, 1 VGA; 1 HDMI-out 1.4b +24-inch TFT, Minimum 6 USB, Full HD with integrated mike web cam, **Warranty- Min 3 Yrs.** Assembled not accepted. **Certification:** BIS / BEE / EPR / RoHS or any other relevant Indian Certificate. **Standard: - Products of only the top-5 brands as per the latest quarterly IDC reports and who are eligible as per GFR sub rule (ix) of rule 144 to participate. Documentary evidence to be subimted.** UPS: - Power capacity UPS 1000 VA, Noise level: Less than 40dB, Output sockets- Minimum 3 Sockets, Recharge time up to 6 hours, Warranty on battery minimum 1 year & ups 2 years. As per Meity (GOI) guideline UPS shall have valid is16242-part 1 CRS certificate, Certificate of Govt. Lab/NABL/ILAC accredited for UPS Testing or any Govt authorized lab for similar testing purpose.
3-	**MFP-Mono (Duplexer) High Laser Printer** **Specification:** Paper Size A4/Legal, Print Speed-40 PPM or higher, Print Speed Duplex (A4)- 34 IPM or more, Duplex feture- Yes (Auto), Network Connectivity- Yes (LAN), USB Port-Yes, Duty Cycle- Min 80000 Per month, Onsiste OEM **Warrenty- Min 3 Yrs,** Wireless Conectivity-Yes, RAM- 512 MB and Initial inbox Cartridge Yie – 3000 or Higher

ANNEXURE-B

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अधीनस्थ निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत जिला निर्वाचन कार्यालयों/मु. नि.अ. कार्यालय में विभिन्न प्रकार की सामग्री–कम्प्यूटर उपकरणों आदि की आपूर्ति हेतु तकनीकी ई–निविदा का सारांश, तकनीकी निविदा के साथ प्रस्तुत करें।

1— निविदा–दाता फर्म का नामः–

2— निविदा–दाता फर्म का उत्तराखण्उ राज्य में पता (टेलीफोन नम्बर/ई मेल आईडी सहित):–

3— निविदा–दाता फर्म का उत्तराखण्ड राज्य में GST पंजीकरण संख्याः–

4— निविदा–दाता फर्म का स्थाई लेखा संख्या (पैन नम्बर):–

5— विगत चार वर्षों में लगातार (क्रमबद्ध) किन्हीं भी तीन वर्षों में विभिन्न प्रकार की सामग्री–उपकरणों /जनरल ऑर्डर सप्लाई के संबंध में औसत टर्नओवर का विवरणः–

विवरण	वित्तीय वर्ष 2021–2022	वित्तीय वर्ष 2022–2023	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2023–24
1	2	3	4	
1.कुल टर्नओवर रू.–				
2.औसत टर्नओवर रू.–				
3.नेटवर्थ –				

नोट– नेटवर्थ पॉजीटिव होनी चाहिए।

6— ब्लेक लिस्टेड न होने आदि से संबंधित अपेक्षित शपथ–पत्र मूल में संलग्न करें:–

7— धरोहर धनराशि (EMD) का विवरणः–
(सावधि जमा रसीद (एफडीआर, टीडीआर), राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी) आदि की संख्या, दिनांक एवं धनराशि अंकित करें तथा मूल में प्रस्तुत करें)

8— निविदा फार्म हेतु निर्धारित शुल्क का विवरणः–
(बैंक ड्राफ्ट/ डिमांड ड्राफ्ट की संख्या, दिनांक एवं धनराशि अंकित करें तथा मूल में प्रस्तुत करें)

9:— तकनीकी निविदा के साथ निर्धारित माप, गुणवत्ता, Specification के अनुसार वांछित सामग्री/उपकरण आपूर्ति करने के संबंध में निविदि–दाता की बचनबद्धता के संदर्भ में रू0–100.00 (एक सौ) मात्र की धनराशि के **नॉन जूडिशियल** स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथपत्र भी मूल प्रति प्रस्तुत।

10:— **POWER OF ATTORNEY FOR SIGNING OF BID, in ANNEXURE-D (रू0. 100.00 के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मूल में)**

11:— रू0–100.00 (एक सौ) के नॉन जूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित इस आशय का शपथ–पत्र मूल में प्रस्तुत करना कि, निविदा–दाता द्वारा अपनी निविदा के साथ प्रस्तुत की गयी कोई सूचना/प्रमाण–पत्र गलत–मिथ्य नहीं है और न ही कोई सूचना–तथ्य छिपाया गया है। किसी प्रकार की गलत/मिथ्य सूचना पाए जाने पर निविदा–दाता फर्म की निविदा को अस्वीकृत कर लिया जाय।

12:— **तकनीकी निविदा से संबंधित सील्ड लिफाफे में संलग्नकों की कुल संख्या :–**

निविदा–दाता की घोषणा

प्रमाणित किया जाता है कि, निविदा में उल्लिखित आपूर्ति की जाने वाले विभिन्न सामग्री–कम्प्यूटर उपकरण आदि हेतु निर्वाचन विभाग द्वारा निविदा में अंकित नियम/शर्तों सहित निविदा के इस सम्पूर्ण अभिलेख को भली–भॉति से पढ़ व समझ लिया है और तत्पश्चात ही निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग

किया जा रहा है। निविदा के लिए विभाग द्वारा नियत उपरोक्त नियम एवं शर्तें स्वीकार करते हुए यह भी प्रमाणित किया जाता है कि निविदा की नियम/शर्तों का किसी भी प्रकार से अनुपालन न करने या उल्लंघन करने के लिए निविदा–दाता उत्तरदायी होगें।

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर.........................
फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि का पूरा नाम..
फर्म का पूरा पता...

फर्म की मुहर यहां पर लगाई जाय।

फोन/फैक्स नं0...
मोबा0नं0...............................
ई–मेल आई.डी. –

ANNEXURE-C

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अधीन, निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत जिला निर्वाचन कार्यालयों/मु. नि.अ. कार्यालय उत्तराखण्ड में आपूर्ति की जाने वाली विभिन्न सामग्री–कम्प्यूटर उपकरणों की आपूर्ति के संबंध में

तकनीकी ई–निविदा के साथ अपलोड किए जाने वाले संलग्नकों का विवरण।

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या (से–तक)
1.	तकनीकी ई–निविदा का साराँश **ANNEXURE-B**	
2.	फर्म का GST रजिस्ट्रेशन अभिलेख।	
3.	फर्म का PAN Card की प्रति ।	
4.	निविदा दाता फर्म का विभिन्न विभाग/कार्यालयों आदि में विभिन्न प्रकार की सामग्री–उपकरणों/जनरल ऑर्डर सप्लाई आदि की आपूर्ति से संबंधित अनुभव प्रमाण–पत्र ।	
5.	वित्तीय वर्ष–2021–2022 के टर्नओवर से संबंधित CA द्वारा सम्प्रीक्षित बैलेंसशीट।	
6.	वित्तीय वर्ष–2022–2023 के टर्नओवर से संबंधित CA द्वारा सम्प्रीक्षित बैलेंसशीट।	
7.	वित्तीय वर्ष–2023–2024 के टर्नओवर से संबंधित CA द्वारा सम्प्रीक्षित बैलेंसशीट।	
8.	वित्तीय वर्ष–2024–2025 के टर्नओवर से संबंधित CA द्वारा सम्प्रीक्षित बैलेंसशीट।	
9.	वित्तीय वर्ष–2021–2022 तक जमा आयकर रिटर्न से संबंधित रसीद/अभिलेख।	
10.	वित्तीय वर्ष–2022–2023 तक जमा आयकर रिटर्न से संबंधित रसीद/अभिलेख।	
11.	वित्तीय वर्ष–2023–2024 तक जमा आयकर रिटर्न से संबंधित रसीद/अभिलेख।	
12.	वित्तीय वर्ष–2024–2025 तक जमा आयकर रिटर्न से संबंधित रसीद/अभिलेख।	
13.	निविदा–दाता के पास OEM विषयगत निविदा के संबंध में अधिकृत प्रमाण पत्र और OEM गारंटीकृत सेवा/वारंटी प्रमाण पत्र की प्रति।	
14.	निविदा दाता BIS / BEE / EPR / RoHS या कोई अन्य प्रासंगिक भारतीय प्रमाणपत्र की प्रति।	
15.	जीएफआर के नियम 144 के उपनियम (ix) के उपबंधों का अनुपालन करने के संदर्भ में प्रमाण पत्र।	
16.	प्रस्तुत निविदा के अनुसार EMD से संबंधित अभिलेख की स्केन पीडीएफ	
17.	फर्म के ब्लेक लिस्टेड न होने आदि के संबंध में वांछित शपथ–पत्र की स्केन पीडीएफ	
18.	POWER OF ATTORNEY की स्केन पीडीएफ	
19.	तकनीकी निविदा के साथ निर्धारित माप, गुणवत्ता, Specification के अनुसार वांछित सामग्री/उपकरण आपूर्ति करने के संबंध में निविदा–दाता की बचनबद्धता के संदर्भ में रू0–100.00 (एक सौ) मात्र की धनराशि के **नॉन जूडिशियल** स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथपत्र ।	

20.	रू0–100.00 (एक सौ) के नॉन जूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित इस आशय का शपथ–पत्र की प्रति कि, निविदा–दाता द्वारा अपनी निविदा के साथ प्रस्तुत की गयी कोई सूचना / प्रमाण–पत्र गलत–मिथ्य नहीं है और न ही कोई सूचना–तथ्य छिपाया गया है। किसी प्रकार की गलत / मिथ्य सूचना पाए जाने पर निविदा–दाता फर्म की निविदा को अस्वीकृत कर लिया जाय।	
21.	रू0–40.00 लाख (चालीस लाख) तक की बैंक सॉल्वेंसी की प्रति जो तकनीकी निविदा खोले जानी की तिथि से तीन माह पुरानी नहीं होनी चाहिए।	
22.	OEM (Original Equipment Manufacturer) या अधिकृत डीलर निविदा में प्रतिभाग कर सकते हैं, अधिकृत डीलर के मामले में निविदा–दाता के पास OEM विषयगत निविदा के संबंध में अधिकृत प्रमाण पत्र और OEM गारंटीकृत सेवा / वारंटी की प्रति	
23.	निविदा–दाता अपनी तकनीकी निविदा में उल्लिखित उत्पादों / उपकरणों की विस्तृत तकनीकी विशिष्टतांए तथा अपेक्षित विशिष्टता के अनुपालन को प्रदर्शित करते हुए उद्धृत सामग्री–उपकरणों की सूची / ब्रोशर की प्रति।	
24.	जनवरी, 2025 तक जीएसटी क्लियरेंस प्रमाण पत्र एवं पिछले तीन महीनों के लिए जीएसटीआर–3बी रिटर्न की प्रति।	
25.	निविदा–दाता फर्म के पास निविदा प्रकाशित होने की तिथि को या उससे पूर्व की तिथि का ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 10377:2013, ISO 10002:2018, ISO 20000-1:2018, ISO 50001:2018, ISO 27001:2013 प्रमाण पत्र की प्रति।	
26.	उल्लिखित सामग्री–उपकरणों की आपूर्ति, परीक्षण, कमिशनिंग तथा स्टांलेशन आदि के संबंध में अनुभवयी एवं योग्य प्रशासनिक / तकनीकी कार्मिकों की विस्तृत सूची उनकी योग्यता का उल्लेख करते हुए तकनीकी निविदा के साथ ही फर्म के लैटरपैड पर तैयार कर प्रस्तुत करना।	
27.	निविदा के इस अभिलेख (Tender Document) की मुहर व हस्ताक्षर युक्त स्केन पीडीएफ (With Corrigendum if any)	
28.	सन्तोषजनक कार्य के संबंध में संबंधित विभाग / कार्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया कार्यपूर्ति एवं अंतिम भुगतान का स्पष्ट प्रमाण–पत्र (क, ख अथवा ग में से किसी भी एक भाग का)	

नोटः– कृपया निवदा में उक्तानुसार संलग्न सभी अभिलेखों पर नम्बरिंग कर उपरोक्त क्रम में ही अलपोड करने का कष्ट करें।

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर........................
फर्म के अधिकृत व्यक्ति का पूरा नाम..........................
पूरा पता..
फोन / फैक्स नं0..
मोबा0नं0.............................
ई–मेल आई.डी. –

फर्म की मुहर यहां
पर लगाई जाय।

POWER OF ATTORNEY FOR SIGNING OF BID

Format for Power of Attorney for Signing of Application

(On a Stamp Paper of Rs 100/-)

Power of Attorney

We, ………………………………………………..[*name and address of the registered office*] do hereby constitute, appoint and authorize Mr. / Ms. ………………………………(*name and residential address*) who is presently employed with us and holding the position of …………………………………………..as our attorney, to do in our name and on our behalf, all such acts, deeds and things necessary in connection with or incidental to our response to the Tender for supply of [insert brief description of the goods] including signing and submission of all documents and providing information to the Client (i.e. [*insert name of the TIA*]) and its officials or representatives , representing us in all matters before Client, and generally dealing with Client in all matters in connection with our bid response.

We hereby agree to ratify all acts, deeds and things lawfully done by our said attorney pursuant to this Power of Attorney and that all acts, deeds and things done by our aforesaid attorney shall and shall always be deemed to have been done by us.

Dated this the _______ day of _______200_

For ___________________________

(Name, Designation and Address)

Accepted

_________________________(Signature)

(Name, Title and Address of the Attorney)

Date: __________

Note:

i. *The mode of execution of the Power of Attorney should be in accordance with the procedure, if any, as laid down by the applicable law and the charter documents of the executants(s) and when it is so required the same should be under common seal affixed in accordance with the required procedure.*

ii. *In case an authorized Director or key officials of the Applicant signs the Application, a certified copy of the appropriate resolution/ document conveying such authority may be enclosed in lieu of the Power of Attorney.*

ANNEXURE-D

SOLVENCY CERTIFICATE FORMAT

(To be issued by scheduled Banks as mentioned below (for instance) not later than 3 months.

Ref--------- **Date:-**

This is to certify that M/S ………………………………………………. Having their Registered Office at ……………………………………………………………… is solvent to the extent of Rs. …………………….. (Amount in words ……………………………………..) as disclosed by the information and record which are available with the bank.

This certificate is issued at the request of M/s………………………………………………... for a Tender Purpose.

This certificate is issued without any risk/liability or responsibility whatsoever on the part of the Bank or any of its officers.

Place:

Date:-

For Bank_______________

Bank Seal…. Name of Signatory

उल्लिखित सामग्री, यथा जनरेटर, कम्प्यूटर, प्रिन्टर एवं यूपीएस आदि आपूर्ति हेतु गंतव्य स्थान
(Destination)

Name of District	58. 5 KVA Silent Diesel Genset	All in one Desktop Computer with UPS	MFP-Mono (Duplexer) High Laser Printer
1-District Election office, Uttarkashi	1	10	10
2- District Election office Chamoli (Gopeshwar)	0	9	9
3- District Election office Rudraprayag	1	8	8
4- District Election office Tehri Garhwal (New Tehri)	1	12	12
5- District Election office Dehradun	2	12	12
6- District Election office Haridwar (Roshnabad)	2	13	11
7- District Election office Pauri Garhwal (Pauri)	1	6	6
8- District Election office Pithoragarh	1	17	17
9- District Election office Bageshwar	1	9	9
10- District Election office Almora	1	15	15
11- District Election office Champawat	1	6	6
12- District Election office Nainital	1	12	12
13- District Election office Udham Singh Nagar (Rudrapur)	1	14	12
Total-	**14**	**143**	**139**